न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–165/2013

CIS NO. TS 151/2019

भोला राउत एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मनान अंसारी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
10.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.03.2024 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.03.2023 में कहा गया है कि वादीगण के द्वारा फ्री सबुत के साथ हालसर्वे खतियान खाता–136 बनाम मैंना कुर्मी वगैरह मौजा–भेडिहरवा, थाना–479 की सच्ची प्रतिलिपि एवं निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–9175 दिनांक 14.12.1967 नविस्ते रामरूप राउत बहक श्रीमति सिंगारी देवी की सच्ची प्रतिलिपि तथा निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 23.07.2003 नविस्ते कैलाश राउत बहक अब्दुल मनान की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है। उपरोक्त वर्णित कागजात लोक दस्तावेज है, जिसे साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की कोई आवशकता नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निम्न वर्णित कागजात को वादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0ः–165/2013</u>

<u>CIS NO. TS 151/2019</u>

भोला राउत एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मनान अंसारी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **10.01.2025**	दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 22.03.2024 स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 17.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	